न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 08 / 2020

प्राथीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. भगतसिंह पुत्र श्री रामलाल 2. महेन्द्र पुत्र श्री रामलाल जातियान धोबी निवासीगण सीरवीबास भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. आ"ाादेवी पत्नी श्री रामलाल 2. मनोज कुमार पुत्र मदनलाल 3. लक्ष्मी पत्नी मदनलाल 4. हेमन्त पुत्र श्री मदनलाल 5. पिंकी पत्नी गजेन्द्र गोपाल जातियान धोबी निवासीगण सीरवी बास भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 6. लोके"ा पुत्र गजेन्द्र गोपाल आयु 15 वर्ष 7. सानिया पुत्री गजेन्द्र गोपाल आयु 13 वर्ष 8. मुकुल पुत्र गजेन्द्र गोपाल आयु 10 वर्ष अप्रार्थी संख्या 6 से 8 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता पिंकी पत्नी श्री गजेन्द्र गोपाल जातियान धोबी निवासीगण सीरवीबास भावी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 9. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थिति :— प्रार्थीगण की ओर से श्री पदमाराम चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 से 8 को ओर से श्री सी.आर. चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 9 सरकारी पैरोकार

आदेश **दिनांक**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी की सरहद में प्रार्थी की बंट की कब्जा का"तसुदा भूमि खसरा नम्बर 1724 रकबा 0.6796 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम स्थित है। जो प्रार्थी को अपने भाई बंटवाड़े में कब्जा का"त में दी हुई है जिस पर प्रार्थी कई वर्षो से निर्विवा[illegible] प्रार्थी की खातेदारी की कब्जासुदा भूमि है उक्त भूमि के चिपते ही प्रार्थी की खसरा नम्बर 992 व 993 की भूमि आई हुई है। राजस्व नक"ो में खसरा नम्बर 992 व 993 नक"ो में तरमीमसुदा है [illegible] नम्बर 992

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:10:01 IST
Reason: SelfAttested

व 993 के दक्षिण दि"ाा में ही प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्ब 1723, 1724 स्थित है जो नक्"ो में दर्ज नही है मगर मौके पर संलग्न नजरी नक्"ो में द"ार्ये स्थान पर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1724 स्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1724 की भूमि राजस्व नक्"ो में वक्त सैटलमेन्ट से दर्ज नही होने के कारण प्रार्थी को आये दिन काफी परे"ाानी हो रही है तथा प्रार्थी को लोन लेने में एवं अन्य कार्य के लिए परे"ाानी हो रही ह। प्रार्थी ने उक्त भूमि को राजस्व नक्"ो में दर्ज करने के लिए अप्रार्थी संख्या 9 को बार बार निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा राजस्व नक्"ो में दर्ज नही किया गया है। राजस्व नक्"ो में जहॉ पर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1724 जमाबन्दी में बतौर खातेदारी की दर्ज है मगर राजस्व नक्"ो में दर्ज नही है नक्"ो में उक्त भूमि दर्ज होने से छूट गई है। खसरा नम्बर 1724 को राजस्व नक्"ो में दर्ज करने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के हक हिस्से की भूमि में कोई फर्क नही पड़ेगा तथा उनके हक हिस्से की भूमि को चैलेन्ज नही किया जा रहा है मात्र राजस्व रेकर्ड नक्"ाा में दर्ज होने से रह गया है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 1724 को ग्राम भावी सीरवीबास के राजस्व नक्"ो में प्रार्थी की अन्य ाूमि खसरा नम्बर 1724 को नक्"ाा में लाल रंग से द"ार्ये गये स्थान पर दर्ज करने हेतु अप्रार्थी संख्या 9 को आदे"ा जारी फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 ने जवाब पे"ा किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद संख्या 1 से 4 सही होने से स्वीकार है। पद संख्या 5 से 7 कानूनी है। अन्त में जवाब पे"ा कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण का निवेदन है कि उक्त प्रकरण में उचित आदेश प्रदान करावे। अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से जवाब पे"ा किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1723 व 1724 रकबा 0.8171 व 0.6796 हैक्टेयर है। जो ग्राम भावी सीरवीबास के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 121 पर दर्ज है। ग्राम भावी सीरवीबास में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की खातेदारो भूमि खसरा नम्बर 1723 व 1724 ग्राम भावी सीरवीबास के राजस्व नक्"ो में मौके अनुसार आकृति तो दर्ज है परन्तु भूलव"ा उसमें खसरा नम्बर दर्ज नही हुए है। ग्राम भावी सीरवीबास के खसरा नम्बर 1723 राजस्व नक्"ाा लट्ठा ट्रेस में भूलव"ा खसरा नम्बर 1729 के स्थान पर दर्ज हा गया जो कि अन्य खातेदारों की भूमि है, एव मौके पर भी इन्ही खातेदारों का कब्जा का"त है। ग्राम भावी सीरवीबास के खसरा नम्बर 1724 की आकृति मौके अनुसार राजस्व नक्"ाा लटठा ट्रेस में दर्ज है। परन्तु राजस्व नक्"ाा लटठा ट्रेस में खसरा नम्बर अंकित नही है। ग्राम भावी सीरवीबास के खसरा नम्बर 1723 की भूमि की आकृति राजस्व नक्"ाा ट्रेस में मौके अनुसार खसरा नम्बर 1724 के चिपती प"िचम दि"ाा में अंकित है। परन्तु खसरा नम्बर अंकित किया हुआ नही है। ग्राम भावी सीरवीबास का राजस्व नक्"ाा ट्रेस दो भागो में बना हुआ है एवं मूल सीट भी दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:10:01 IST
Reason: SelfAttested

भागों में बनी हुई है जिसमे खसरा नम्बर 1723 व 1724 राजस्व नक"ो के दोनो भागों की सीमा पर स्थित है। अन्त में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भावी सीरवीबास के खसरा नम्बर 1723 व 1724 राजस्व ट्रेस नक"ाा में मौका अनुसार आकृति दर्ज है लेकिन नम्बार अंदाजी नही हुई है, जिसकी नियमानुसार दुरूस्ती की जाती है तो भूमिधारी को कोई आपति नही है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब पर मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे विदित होता है कि ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1723 व खसरा नम्बर 1724 प्रार्थीगण की रेकर्डेड सयुक्त खातेदारी की है, लेकिन नक"ाा ट्रेस में भूमि खसरा नम्बर 1723 व 1724 की तरमीम नही द"र्ाायी गयी है। मौजूदा प्रार्थना पत्र में भूमि खसरा नम्बर 1723 व 1724 के रेकर्डेड सयुक्त खातेदार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण है राजस्व रेकर्ड नक"ाा ट्रेस में तरमीम किये जाने की कोई आपति नही है। नक"ाा ट्रेस में खसरा नम्बर अंकित नही किया जाना एक त्रुटी है, ऐसी त्रुटी को सुधार किया जाना आवश्यक है। खसरा नम्बर 1723 व 1724 पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का कब्जा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1723 रकबा 0.8171 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1724 रकबा 0.6796 हैक्टेयर की तरमीम राजस्व नक"ाा ट्रेश में कर उसकी पालना रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पे"ा करे। फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक"ाा दिनांक 08.12.2020 को इस निर्णय का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:10:01 IST
Reason: SelfAttested